उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2018)

THE UTTAR PRADESH SELF-FINANCED INDEPEDENT SCHOOLS (FEE REGULATION) ACT, 2018

(U.P. Act No. 40 of 2018)

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2018]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों में शुल्क विनियमन किये जाने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध किये जाने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

ikjfEHkd

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू किया जाना और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है;

(3) यह धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन परिभाषित परिषदों यथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) या सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त ऐसे समस्त स्ववित्तपोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई-स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेजो पर लागू होगा जिनमें किसी छात्र के लिए कुल सम्भावित संदेय शुल्क बीस हजार से अधिक हो;

यह उक्त परिषदों में से किसी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/ सम्बद्ध अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू होगा; यह स्वतंत्र पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा;

(4) यह दिनांक 9 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''सम्बद्धता'' का तात्पर्य किसी परिषद के अनुमोदित विद्यालयों की सूची के मध्य मान्यता प्राप्त किसी ऐसे विद्यालय के नामांकन से है जो कक्षा-पॉच, आठ, दस और/या कक्षा-बारह तक के विहित/अनुमोदित पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए हो और साथ ही साथ ऐसे विद्यालयों के नामांकन से है जो परिषद की परीक्षाओं के लिए विहित पाठ्यक्रमों के अनुसार छात्रों को तैयार करते हैं;

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(ख) ''शैक्षणिक वर्ष'' का तात्पर्य सम्बन्धित परिषदों द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने और उसकी समाप्ति से है;

(ग) ''समुचित प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 8 के अधीन गठित जिला शुल्क नियामक समिति से है;

(घ) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (आई0सी0 एस0ई0), इण्टरनेशनल बेक्कलॉरेट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आई0जी0सी0 एस0ई0) या सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किसी अन्य परिषद् से है;

(ङ) ''जिला विद्यालय निरीक्षक'' का तात्पर्य राज्य के प्रत्येक जिले में यथाविहित रीति से नियुक्त किसी अधिकारी या माध्यमिक शिक्षा के जिला विद्यालय निरीक्षकों की शक्तियों का प्रयोग करने और उनके कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है;

(च) ''जिला शुल्क नियामक समिति'' का तात्पर्य धारा 8 के अधीन गठित जिला शुल्क नियामक समिति से है;

[1][(चच) ''स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों के मण्डलीय अपीलीय प्राधिकरण'' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय के प्राधिकरण से है;

(छ) ''शैक्षिक प्रयोजनों'' का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा कृत किसी ऐसे शैक्षिक क्रियाकलाप से है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या सृजन, पेटेंट, अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलाप, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कर्मचारी वर्ग उन्नयन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उच्चीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सह पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलाप और खेल संबंधित अवसंरचना और उपकरण तथा नवीन शाखा एवं नवीन विद्यालय स्थापना संबंधी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;

(ज) ''पात्र शैक्षिक इकाई'' का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन सृजित न्यास या न्यासों या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनियों या राज्य में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संचालित करने वाले, उनका प्रबन्ध करने वाले या अनुरक्षित करने वाले किसी परिषद् द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किसी अन्य इकाई से है;

(झ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ञ) "संरक्षक" का तात्पर्य अभिभावक या किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम किसी छात्र के अभिभावक द्वारा संरक्षक के रूप में विद्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया हो;

(ट) ''विद्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य प्रधानाचार्य या यथास्थिति मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रशासन तथा शैक्षिक मामलों का प्रबन्ध करने हेतु पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा अभिहित मान्यता प्राप्त विद्यालय के किसी अन्य नाम से नामित व्यक्ति से है;

(ठ) ''संयुक्त शिक्षा निदेशक''का तात्पर्य राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के मण्डल स्तर के अधिकारी से है;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020 की धारा 2(क) द्वारा बढ़ाया गया।

(ड) ''स्थानीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या किसी जिला पंचायत द्वारा अधिसूचित किसी स्थानीय क्षेत्र से है;

(ढ) ''प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के व्यक्तियों के निकाय से है, जो सक्षम निकाय/प्राधिकरण द्वारा उस विद्यालय की कार्यप्रणाली का प्रबन्ध करने के लिए प्राधिकृत हो;

(ण) ''अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था'' का तात्पर्य धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्था से है जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद–30 के खण्ड(1) के अधीन ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो;

(त) ''अभिभावक एसोसिएशन'' का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के अभिभावक एसोसिएशन है, जिसका गठन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाय;

(थ) ''अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986 के अधीन निर्मित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन और अन्य परिषदों के लिए विद्यालय द्वारा विद्यालय के अभिभावकों और अध्यापकों के साथ गठित अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन से है;

(द) ''अनुज्ञात शुल्क वृद्धि'' का तात्पर्य धारा–4 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से है;

(ध) ''लोक निर्माण विभाग'' का तात्पर्य राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग से है;

(न) ''मान्यता प्राप्त विद्यालय'' का तात्पर्य राज्य में संचालन हेतु किसी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से है;

(प) ''मान्यता'' का तात्पर्य राज्य में किसी विद्यालय के संचालन के लिए किसी परिषद द्वारा प्रदान किये गये ऐसे औपचारिक प्रमाणन से है कि वह विद्यालय संचालित करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अनुरूप हो;

(फ) "स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय" का तात्पर्य शिक्षा प्रदान करने वाली ऐसी किसी संस्था से है, जिसमें ऐसे किसी प्रयोजन, जो भी हो, के लिए प्रमुख संस्था संबंधी व्ययों का वहन, ऐसी संस्था के प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वयं किया जाता हो और/या विद्यालय निधियों/राजस्व से या अभिदानों विद्यालय के सम्पत्ति पर किन्हीं विल्लगमों का सृजन करके प्राप्त ऋण सहित ऋण लेने के माध्यम से किया जाता हो;

(ब) ''विद्यालय '' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

(एक) प्राथमिक स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करने वाला पूर्व प्राथमिक विद्यालय यथा नर्सरी या किन्डरगार्टन; या

(दो) कक्षा एक से पॉच (दोनों सम्मिलित) तक की शिक्षा प्रदान करने वाला प्राथमिक विद्यालय; या

(तीन) कक्षा छः से आठ (दोनों सम्मिलित) तक की शिक्षा प्रदान करने वाला उच्च प्राथमिक विद्यालय; या

(चार) कक्षा नौ एवं दस की शिक्षा प्रदान करने वाला हाईस्कूल; या

(पॉच) कक्षा ग्यारह एवं बारह की शिक्षा प्रदान करने वाला इण्टरमीडिएट कालेज;

जो किसी पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा प्रबन्धकृत हो और किसी परिषद् से स्ववित्तपोषित स्वतन्त्र विद्यालय के रूप में संबद्ध हो:

परन्तु जहॉ ऐसा विद्यालय प्राथमिक स्तर से नीचे की शिक्षा प्रदान करने वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय के रूप में एकल रूप में स्थित आधार पर प्रचालित हो, वहॉ वह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आयेगा;

(भ) ''विद्यालय सम्पत्ति'' का तात्पर्य मान्यता प्राप्त विद्यालय या पात्र शैक्षिक इकाई के, विद्यालय परिसर के अन्तर्गत उसके स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन और/या संबंधित मान्यता प्राप्त विद्यालय से संबंधित मूर्त या अमूर्त समस्त चल और अचल सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति के या उससे उद्‌भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकारों एवं हितों से है, और जिसमें भूमि भवन और इसके अनुलग्नक, खेल मैदान, छात्रावास, उपस्कर, पुस्तकें, साधित्र, नक्शे, बौद्धिक सम्पदा, उपकरण, बर्तन, नगदी, संरक्षित निधियॉ, निवेश एवं बैंक अधिशेष सम्मिलित है;

(म) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(य) [1][x x x]

अध्याय–दो

विद्यालयों में प्रवेश एवं शुल्क

शुल्क एवं निधि

3–(1)किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को अन्य बातों के साथ–साथ अपने संचालन संबंधी व्ययों की पूर्ति करने, सुविधाओं में अभिवृद्धि की व्यवस्था करने तथा अवसंचरना का विस्तार करने, छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने और एक ही पात्र शैक्षिक इकाई के प्रबन्धन के अधीन नवीन शाखा या नवीन विद्यालय की स्थापना सहित शैक्षिक प्रयोजनों के विकास हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले युक्तियुक्त अधिशेष जनित करने के लिए तद्‌अनुरूप भिन्न–भिन्न कक्षाओं/ श्रेणियों/विद्यालयीय स्तरों के लिए धारा 4 की उप धारा (1) एवं (2) के अधीन अपनी शुल्क संरचना अवधारित करना होगा;

(2) किसी विद्यालय में शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी होगी;

(3) प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा:–

(क) सम्भावित शुल्क संघटक:– विद्यालय निम्नलिखित शुल्क संघटकों में से एक या समस्त संघटक समुच्चय को निर्धारित कर सकता है:–

(एक) विवरण पुस्तिका एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क– यह केवल छात्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय संदेय होगा;

(दो) प्रवेश शुल्क–विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय प्रथम बार;

(तीन) परीक्षा शुल्क– परीक्षाओं के लिए संदेय होगा;

(चार) संयुक्त वार्षिक शुल्क–प्रतिवर्ष संदेय एकल शीर्षक वार्षिक आवर्ती शुल्क :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर विभिन्न शीर्षकों के अधीन आवर्ती शुल्क प्रभारित करने वाले किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आगामी शैक्षिक वर्ष से यथा उपबंधित रूप में ऐसे समस्त शीर्षकों को एकल आवर्ती शुल्क शीर्षक में सम्मिलित करने की अपेक्षा की जायेगी;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020 की धारा 2(ख) द्वारा निकाला गया।

(ख) वैकल्पिक शुल्क संघटकः—विद्यालय द्वारा उपबंधित वैकल्पिक क्रियाकलापों तथा सुविधाओं हेतु संदेय विभिन्न शुल्क में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः—

(एक) परिवहन;

(दो) बोर्डिंग ;

(तीन) मेस या डाइनिंग;

(चार) शैक्षिक भ्रमण;

(पॉच) कोई समान क्रियाकलाप;

(ग) प्रतिदेय प्रभारः—प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने के समय समस्त लागू देयों का समाशोधन करने पर छात्रों को वापस की जायेगी :

परन्तु ऐसी प्रतिभूति/अवधान धनराशि संयुक्त वार्षिक शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, विद्यालय में जमा अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता में प्रचलित दर पर व्याज सहित वापस की जायेगी। प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विद्यालय द्वारा वापस की जायेगी;

(4) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख, प्रत्येक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को, आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा;

(5) ऐसा विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेगा एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित भी करेगा। तथापि वर्तमान वर्ष में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीस दिन के भीतर किया जायेगा;

(6) फीस का विवरण प्रकाशित किये जाने के समय उक्त विद्यालय यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि संदाय, मासिक या त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक किस्तों में किया जायेगा। परन्तु कोई विद्यालय यह एकमात्र व्यवस्था नहीं करेगा कि शुल्क का संदाय वार्षिक आधार पर किया जाय;

(7) कोई विद्यालय समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, शैक्षणिक सत्र के दौरान उप धारा (4) के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित शुल्क से अधिक कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा;

(8) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि कोई कैपिटेशन शुल्क प्रभारित न किया जाय ;

(9) छात्र से उद्ग्रहीत प्रत्येक शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी की जायेगी;

(10) किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा;

(11) विद्यालय द्वारा पॉच निरन्तर शैक्षणिक वर्षों के भीतर विद्यालय पोशाक में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, यदि परिवर्तन अपेक्षित हो तो इसमें परिवर्तन जनपदीय शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन से समुचित औचित्य के साथ किया जा सकता है।

शुल्क निर्धारण

4–(1) विद्यमान छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क वृद्धि— कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय, अपने विद्यमान छात्रों के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापन कर्मचारिवर्ग के मासिक वेतन में प्रति व्यक्ति वृद्धि के औसत के बराबर विद्यालय के प्रत्येक वर्ग/कक्षा/स्तर के लिये स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है, किन्तु शुल्क वृद्धि, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + छात्र से वसूल किये गये पाँच प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी;

Li"Vhdj.k–प्रवेश के समय, वर्ग/कक्षा, जिसमें छात्र विद्यालय में प्रवेश ले रहा हो, पर ध्यान दिये बिना विद्यालय अभिभावक को नये छात्रों हेतु उस विशिष्ट वर्ष के लिए लागू समस्त वर्ग/कक्षावार कक्षा–बारह तक की पूर्ण शुल्क संरचना उपलब्ध करायेगा। यह शुल्क संरचना आगामी वर्ग/कक्षा हेतु छात्रों के लिए लागू शुल्क का अवधारण करने के लिए प्रत्येक वर्ग/कक्षा हेतु चक्रवृद्धि आधार पर अनुवर्ती वार्षिक अनुज्ञात शुल्क वृद्धि की संगणना का आधार हो जायेगी :

परन्तु, किसी विद्यालय में वेतन आयोग की सिफारिश लागू किये जाने की स्थिति में पद "किन्तु शुल्क वृद्धि, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिशत बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक + छात्रों से वसूल किये गये पॉच प्रतिशत शुल्क से अधिक नहीं होगी" उस वर्ष में लागू नहीं होगा। जब विद्यालय में वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी गयी हो तब उस वर्ष विद्यालय अपने विद्यमान छात्रों के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष के अध्यापन कर्मचारिवर्ग के प्रति व्यक्ति औसत प्रतिशत मासिक वेतन वृद्धि के बराबर, विद्यालय की प्रत्येक श्रेणी/वर्ग/स्तर के अनुसार स्वयं अपने वार्षिक शुल्क में पुनरीक्षण कर सकता है। यह वर्ष 2018–2019 से लागू होगा।

कोई नया उपकर–उद्ग्रहण लागू किये जाने की दशा में, इसे जिला शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन से समुचित औचित्य के साथ उस उपकर के प्रभाव के स्तर तक प्रभारित किया जा सकता है;

पूर्ववर्ती प्रवेश प्राप्त छात्रों के लिए प्रथम वर्ष 2018–19 हेतु अनुज्ञात शुल्क वृद्धि की गणना वर्ष 2015–16 की शुल्क संरचना को आधार वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए उपधारा (1) के अनुसार की जायेगी, अर्थात, वर्ष 2015–16 हेतु शुल्क संरचना को ग्रहण करते हुए वर्ष 2018–19 हेतु शुल्क संरचना की गणना उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार की जायेगी। वर्ष 2018–19 हेतु नियत किया जाने वाला शुल्क आधार वर्ष 2015–16 को ग्रहण करते हुए संगणित शुल्क और 2017–18 को आधार वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए उस पर आधारित शुल्क की संगणना तथा उप धारा (1) के उपबन्ध के अनुसार संगणना में से निम्नतर होगा;

(2) नये छात्रों के लिए अनुज्ञात शुल्क निर्धारण–विद्यालय, सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अध्यधीन किसी विशिष्ट शैक्षणिक वर्ष में किसी कक्षा/वर्ग/स्तर में नया प्रवेश चाहने वाले नये छात्रों के लिए अपना शुल्क अवधारित करेगा। इन छात्रों के लिए अनुवर्ती वर्षों में शुल्क वृद्धि उपधारा (1) के अनुसार की जायेगी।

[1][(3) ''इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असाधारण स्थितियों या आपात जैसी परिस्थितियों, जो दैवीय कृत्यों, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या क्रांतियों, जनान्दोलनों, बाढ़ों आदि तक सीमित न हों, में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु विद्यमान छात्रों व नव प्रवेशित छात्रों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा ऐसे समय तक जब तक पूर्वोक्त संभाव्यताएं विद्यमान हों या ऐसे समय तक जैसा कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का विनियमन कर सकती है।]

5–(1) छात्रों से प्रभारित समस्त शुल्क; **आय**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) विद्यालय परिसर में वाणिज्यिक क्रियाकलाप से होने वाली आय, यदि कोई हो, आय मानी जायेगी और विद्यालय के खाते में जमा की जायेगी न कि पात्र शैक्षिक इकाई के खाते में जमा की जायेगी।

विकास निधि

6–(1) वित्तीय वर्ष में विद्यालय की कुल आय की अनधिक पन्द्रह प्रतिशत धनराशि पात्र शैक्षिक इकाई को विकास निधि के रूप में अन्तरित की जा सकती है, तथापि जिस वर्ष विद्यालय द्वारा धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन जनपदीय शुल्क नियामक समिति की अनुज्ञा से अनुज्ञात शुल्क से अधिक शुल्क वृद्धि की जाय, उस वर्ष ऐसा अन्तरण अनुमन्य नहीं होगा;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पात्र शैक्षिक इकाई द्वारा विकास निधि का उपयोग विद्यालय के संचालन अथवा विद्यालय या उस इकाई के अधीन अन्य विद्यालयों के शैक्षिक विकास के लिए किया जायेगा। विकास निधि का उपयोग किसी वाणिज्यिक क्रिया कलाप के लिए नहीं किया जायेगा।

प्रवेश के समय मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रकटीकरण

7–(1) विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश प्रारम्भ होने के साठ दिन पूर्व, अपने सूचनापट्ट/वेबसाइट यदि कोई हो, निम्नलिखित विवरण प्रकाशित करेगा और विवरण पुस्तिका छात्रों को प्रवेश पत्र सहित उपलब्ध करायी जायेगी :–

(क) मान्यता प्राप्त विद्यालय के संबंध में सामान्य जानकारी, प्रत्यायन एवं सम्बद्धता;

(ख) प्रवेश नीति;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए शुल्क एवं निधि संरचना का विवरण;

(घ) छात्रावास, खेल, पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों और अतिरिक्त पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों सहित सुविधाओं का विवरण;

(ङ) विद्यार्थी स्थान अनुपात एवं विद्यार्थी–अध्यापक अनुपात का विवरण;

(च) शैक्षणिक वर्ष 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में अध्यापकों का वेतन–विवरण;

(छ) मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों हेतु सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का कैलेण्डर;

(ज) मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण और कर्मचारिवर्ग विकास कार्यक्रमों हेतु सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का कैलेण्डर;

(2) जब तक कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित न हो, उपधारा–(1) के अधीन प्रकट की गयी सूचना सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए लोक क्षेत्र में उपलब्ध रहेगी।

जिला शुल्क नियामक समितिः उसका गठन, कृत्य और शक्ति

8–(1) राज्य के प्रत्येक जिले में जिला शुल्क नियामक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट	–अध्यक्ष
(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट	–सदस्य
(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता की श्रेणी से अन्यून श्रेणी का कोई अभियन्ता	–सदस्य (पदेन)

(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट एक राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी —सदस्य (पदेन)

(ङ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला में स्थित किसी विद्यालय के अभिभावक शिक्षक ऐसोसिएशन का अभिभावक —सदस्य

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्तपोषित विद्यालय का कोई विख्यात प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/प्रशासक —सदस्य

(छ) जिला विद्यालय निरीक्षक —सदस्य—सचिव (पदेन)

(2) जिला शुल्क नियामक समिति की अधिकारिता सम्बन्धित जिला में स्थित शैक्षिक इकाई स्तर पर होगी;

(3) जिला शुल्क नियामक समिति की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ङ) एवं (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि उनके नाम निर्देशन के दिनांक से दो वर्ष के लिए होगी। यदि किसी कारण से सदस्यों की रिक्ति, पदावधि से पूर्व होती है तो ऐसी रिक्ति ऐसे सदस्य की शेष पदावधि के लिए ही भरी जायेगी। नामनिर्दिष्ट सदस्य को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय;

(4) जिला शुल्क नियामक समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगीः

(क) धारा—4 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से सम्बन्धित प्रबन्ध समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे विद्यालय के ऐसे छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की शिकायत सुनना जिसकी शिकायत इस अधिनियम के अधीन पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर विद्यालय के प्रधान द्वारा अनसुनी रह जाती हैः—

(एक) धारा—4 के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित किये गये शुल्क से अधिक प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को नियत करना;

(दो) प्रभारित किये जा रहे कैपिटेशन शुल्क नियत करना;

(तीन) आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान शुल्क पुनरीक्षण नियत करना; और

(चार) समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अनुज्ञात से अधिक शुल्क वृद्धि को नियत करना;

(पॉच) किसी विशिष्ट दुकान से पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि क्रय करने की मजबूरी को नियत करना;

(छः) जिला शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना पॉच वर्ष के भीतर विद्यालय के पोशाक में परिवर्तन;

(सात) धारा—7 के अधीन यथा उपबंधित प्रकटीकरण न किये जाने को नियत करना;

(आठ) धारा—3 (तीन) ग में किये गये उपबन्ध के उल्लंघन के पश्चात प्रतिभूति धनराशि/अवधान धनराशि का प्रतिदाय न किये जाने को नियत करना;

(नौ) धारा 6 (दो) के अधीन उल्लंघन को नियत करना;

(5) जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाय ;

(6) इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनार्थ जिला शुल्क नियामक समिति के पास किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों का निस्तारण करने के संबंध में दीवानी न्यायालय और अपीलीय न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात;

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थिति को प्रवर्तित करना तथा शपथपूर्वक उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का खोज करना और उसे प्रस्तुत करना;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(घ) साक्षी की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना;

(7) जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक की गणपूर्ति उसकी कुल सदस्यों और अध्यक्ष की संख्या के पचास प्रतिशत से होगी; जबतक गणपूर्ति न हो तब तक जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा;

(8) अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक, वृद्धि करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के कम से कम तीन माह पूर्व समुचित दस्तावेजों के साथ प्रस्तावित शुल्क विवरण से समाविष्ट प्रस्ताव, ऐसी वृद्धि की आवश्यकता को न्यायसंगत सिद्ध करते हुए जिला शुल्क नियामक समिति को प्रस्तुत करेगा;

(9) जिला शुल्क नियामक समिति मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा दिये गये प्रस्तावों और कारणों पर विचार करके प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेगी या उतना प्रतिशत शुल्क वृद्धि विहित करेगी, जितना कि वह उचित समझे, जो धारा–4 के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से कम न हो, ऐसा आदेश लिखित में होगा और प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर मान्यता प्राप्त विद्यालय को दिया जायेगा। जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा पारित आदेश उस शैक्षणिक वर्ष, जिसके लिए ऐसा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि वांछित हो, के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय पर बाध्यकारी होगा;

(10) किसी छात्र या संरक्षकों या अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से शिकायत, यदि कोई हो, प्राप्त किये जाने पर जिला शुल्क नियामक समिति सम्यक रूप से जॉच करने के पश्चात् और समाधान कर लेने के पश्चात् निम्नलिखित रीति से शास्तियॉ अधिरोपित कर सकती है:–

(क) अधिनियम के उपबन्धों का प्रथम बार उल्लंघन किये जाने की स्थिति में छात्र से अधिसूचित शुल्क से अधिक उद्ग्रहीत शुल्क वापस करने के साथ–साथ एक लाख रूपये तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है;

(ख) अधिनियम के उपबन्धों का दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर उद्ग्रहीत अधिक शुल्क वापसी के साथ पॉच लाख रूपये का अर्थ दण्ड अधिरोपित कर सकती है;

(ग) अधिनियम के उपबन्धों का तीसरी बार उल्लंघन किये जाने पर ऐसी कतिपय अवधि, जैसा कि उसके द्वारा विनिश्चित किया जाय, के लिए विकास निधि की अनुमति वापस लिये जाने के अतिरिक्त संबंधित परिषद् की मान्यता/संबद्धता वापस लिये जाने हेतु संस्तुति कर सकती है;

[1] [(11) जहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जिला शुल्क नियामक समिति के विनिश्चय से व्यथित हो,वहाँ वह ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथा विहित रीति से अपील, धारा 9 में निर्दिष्ट मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण को कर सकता है।]

[3][मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण]

[2] [**9**–(1) राज्य के समस्त मण्डलों में एक स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

1–मण्डलीय सभापति–आयुक्त

2–अपर निदेशक, कोषागार–सदस्य

3–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक–सदस्य सचिव

उपरोक्त अपीलीय प्राधिकारी अपेक्षानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट की सहायता ले सकते हैं**;**

(2) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उपबन्धित कोई अपीलीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य के समस्त मण्डलों में मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण का गठन न कर दिया जाय;

(3) अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन उपबन्धित सिविल न्यायालय और अपील न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय–तीन

प्रकीर्ण

लेखा अनुरक्षण

10–(1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को लेखा पुस्तिकाओं का समुचित अनुरक्षण करना होगा;

(2) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को सुसंगत लेखा मानकों और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार लेखा अनुरक्षित करना होगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक

11–किसी सिविल न्यायालय के पास किसी ऐसे प्रश्न का निस्तारण करने, उसका विनिश्चय करने या उसे व्यवहृत करने या ऐसे किसी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जिला शुल्क नियामक समिति या [4][मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय] या समुचित प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियुक्त या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किया जाना, विनिश्चित किया जाना या अवधारित किया जाना अपेक्षित हो और इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं प्रदान किया जायेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020 की धारा 5(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020 की धारा 5(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 2020 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

12–सरकार, समुचित प्राधिकारी या इस अधिनियम या तद्धीन विहित किसी नियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नही होगी।

नियम बनाने की शक्ति

13–राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयॉ दूर करने की शक्ति

14–(1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयॉ दूर करने के प्रयोजनार्थ उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा–(1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

इस अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव

15–इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत राज्य सरकार द्वारा पहले से बनाई गई किसी विधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, असंगत होने की सीमा तक शून्य रहेगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018

16–(1) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी।

(ख) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन गठित किसी मण्डलीय शुल्क नियामक समिति के समक्ष लम्बित समस्त मामले, सम्बन्धित जिला शुल्क नियामक समिति को अन्तरित किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लाई गयी थी कि ऐसे स्व-वित्त पोषित पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, स्वतंत्र विद्यालय, हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज, जो परिषदों यथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सी0बी0एस0ई0), भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (आई0सी0एस0ई0), इण्टरनेशनल बेक्लॉरेट (आई0बी0) और इण्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आई0जी0सी0एस0ई0) आदि द्वारा मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अपने छात्रों से प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को विनियमित करने वाली प्रभावी विधि के अभाव में अपने छात्रों के संरक्षकों से परामर्श किये बिना मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों और उनके संरक्षकों को अनावश्यक वित्तीय भार का सामना करना पड़ता है जिससे छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो लोक हित में नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय/कालेज छात्रों से संस्था की विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों से भिन्न वार्षिक शुल्क के रूप में संग्रहीत अधिशेष निधि की बड़ी धनराशि का उपयोग करते हैं, जो छात्रों के कल्याण के विरूद्ध है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों में शुल्क निर्धारण का उपबंध करने के लिए विधि बनाई जाय।

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है ।